न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य
आर.ए.एस

अपील संख्या :– 61/2019

1. विष्णु पुत्र चन्दा
2. प्रभु पुत्र चन्दा
   समस्त जाति कुम्हार निवासी ग्राम प्रागपुरा तहसील पावटा जिला जयपुर (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

1. अमीत शर्मा पुत्र रतनलाल शर्मा निवासी ग्राम किराडोद तहसील पावटा जिला जयपुर (राज.)
2. तहसीलदार तहसील पावटा जिला जयपुर (राज.)

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय 20/8/2019 तहसीलदार पावटा ब उनवान अमीत शर्मा बनाम विष्णु आदि बाबत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 30.9.2021

अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश 20/8/2019 कार्यवाही अन्तर्गत धारा 251 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्व अपील पेश की है, जिसमें संक्षेप में तथ्य इस प्रकार पेश किये है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट एक ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी एक्ट के तहत् दिनांक 8/8/2019 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में वर्णित किया गया कि ग्राम किराडोद में प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागन हेतु ग्राम प्रागपुरा के आराजी ख.नं. 1294/2, 1297/2 गै.मु. रास्ते को अप्रार्थीगण् विष्णु, प्रभु पुत्र चन्दा द्वारा अवरूद्व कर दिया गया है, जिसे खुलवाया जावें। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13/8/2019 को प्रकरण दर्ज कर तल्बी हेतु नोटिस जारी किया गया अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर दिनांक 20/8/2019 को जवाब पेश किया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब में वर्णित किया गया कि ख.नं. 1294/2 व 1297/2 ग्राम प्रागपुरा में रास्ता निकलवाने का निर्णय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली द्वारा दिया गया था उसकी अपील संभागीय आयुक्त महोदय, जयपुर के यहां चल रही है। उक्त आदेश की क्रियान्विति स्थगित कर दी है। मौके पर कोई रास्ता नही है। उक्त रास्ता हमारी सीमा में नाजायज रूप से एक तरफा निकलता है तो हम रास्ते को रोक देगें, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को बिना सुने बिना जाँच किये बिना क्षेत्राधिकार के विरूद्व जाकर मनमाने तरिके से दिनांक 20/8/2019 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आवागमन हेतु आ.ख.नं. 1294/2 व 1297/2 गै0मु0 रास्ता ग्राम प्रागपुरा अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा अतिकमण कर अवरूद्व किया जा चुका है को अतिकमण मुक्त कर खुलवाये जाने के आदेश पारित किये जिसके विरूद्व अपील निम्नभांति पेश की हैं :–

अति. जिला कलेक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

1. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्व एवं प्राकृतिक न्याय सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है।
2. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने बिना अधिकार के गैर कानूनी रूप से अमित शर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 08/8/2019 पर बिना क्षेत्राधिकार के निर्णय पारित किया है। क्षेत्राधिकार नहीं होने बाबत अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब में स्पष्ट रूप से अंकित किया है । अधिनस्थ न्यायालय को कानूनी रूप से क्षेत्राधिकार के अभाव में अमित शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को सक्षम न्यायालय ग्राम पंचायत को वापिस लौटा देते। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना अधिकार, बिना क्षेत्राधिकार के दिनांक 20/8/2013 को गैर कानूनी रूप से निर्णय पारित किया है। माननीय सुप्रिम कोर्ट ने अपने निर्णय AIR 2013 सुप्रिम कोर्ट 3060 में यह स्पष्ट सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि न्यायालय स्टेटयूट के अलावा क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं कर सकती है। क्षेत्राधिकार पर बेवर का सिद्वान्त भी लागू नहीं होता है। पक्षकारों की सहमति से भी क्षेत्राधिकार प्रदत्त नहीं हो सकता है। बिना क्षेत्राधिकार की गयी कार्यवाही शून्य होती है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना क्षेत्राधिकार के कार्यवाही हुयी है जो खारिज किया जाना आवश्यक है।
3. पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 12/8/2019 में माननीय संभागीय आयुक्त महोदय जयपुर के यथास्थिति का नोट जमाबंदी में अंकित है। संभागीय आयुक्त महोदय के यथास्थिति के आदेश की अवहेलना करके अधिनस्थ न्यायालय ने मनमाना आदेश पारित किया है जो अपीलान्ट द्वारा कन्टैम्पट ऑफ कोर्ट की कार्यवाही के लिए प्रार्थना–पत्र पेश कर दिया है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय 20/8/2019 निरस्त फरमाया जावें।
4. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुनवायी का मौका दिये बिना मौका की जाँच की किये रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को लाभ पहुंचाने की गर्ज से पटवारी हल्का ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में मौका रिपेर्ट तलब कर उसके आधार पर आदेश प्रदान किये है, जबकि मौके पर ना तो रास्ता मौजूद था बल्कि पटवारी हल्का ने फसल बोई हुयी अंकित की है। अपीलान्ट की मौके पर खडी बाजरे की फसल को नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 20/8/2019 को खारिज किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।
5. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 20/8/2019 की जानकारी अपीलान्ट को 03/9/2019 को मौके पर तहसीलदार पावटा, पटवारी हल्का प्रागपुरा द्वारा अपीलान्टस् की बाजरे की फसल को उखाडने की बात कही जाने पर हुयी। इस पर अपीलान्ट ने 20/8/2019 की नकल के लिए आवेदन किया । नकल मिलने पर कानूनी सलाह ली। इसलिए अपील पेश करने में देरी हुयी। अपील पेश करने में हुयी देरी के लिए मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र दफा–5 पेश है, जो अपील अन्दर मियाद पेश है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्व अपील सुनने एवं तैय करने का अधिकार श्रीमान् न्यायालय को प्राप्त है। उक्त अपील नियत कोर्ट फीस पर पेश है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 20/8/2019 व उनवानी प्रार्थना–पत्र अमित शर्मा

कलक्टर

बनाम विष्णु आदि मुकदमा नं. 02/19 प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में हुयी कार्यवाही को खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

6. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील पेश होने पर बर्ज रजिस्टर की जाकर नियमानुसार रेस्पोडेन्ट की तल्बी हेतु सम्मन नोटिस जारी किये गये। बाद तामील होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 उपस्थित नहीं आये। इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

7. बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस में अभिकथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट एक ने प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी एक्ट के तहत् दिनांक 08/8/2019 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित किया गया कि ग्राम किराडोद में प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु ग्राम प्रागपुरा के आ.ख.नं. 1294/2, 1297/2 गै0मु0 रास्ते को अप्रार्थीगण् विष्णु प्रभू पुत्र चन्दा द्वारा अवरूद्व कर दिया गया है, जिसे खुलवाया जावें। इस बाबत अपीलान्ट को जानकारी होने पर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर दिनांक 20/8/2019 को जवाब पेश कर अवगत कराया गया कि आराजी ख.नं. 1294/2 व 1297/2 ग्राम प्रागपुरा में रास्ता निकालने का निर्णय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली द्वारा दिया गया था उसकी अपील श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय के यहां चल रही है। उक्त आदेश की क्रियान्विति स्थगित कर दी गयी थी, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही क्षेत्राधिकार के विरूद्व जाकर मनमानी तरिके से 20/8/2019 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर निर्णय पारित किया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत है। उक्त निर्णय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 08/8/2019 पर बिना क्षेत्राधिकार के निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय को कानूनी रूप से क्षेत्राधिकार के अभाव में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को सक्षम न्यायालय ग्राम पंचायत को वापिस लौटा देते । माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय AIR 2013 सुप्रिम कोर्ट 3060 के यहा स्पष्ट सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि न्यायालय स्टेटयूट के अलावा क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं कर सकती है। क्षेत्राधिकार पर बेवर का सिद्वान्त भी लागू नहीं होता है। पक्षकारों की सहमति से भी क्षेत्राधिकार प्रदत नहीं हो सकता है। बिना क्षेत्राधिकार के की गयी कार्यवाही शून्य होती है। इसलिए बिना क्षेत्राधिकार के की गयी कार्यवाही हुयी है जो खारिज की जावें। पटवारी हल्का से अपीलान्ट की अनुपस्थिती में मौका रिपोर्ट तल्ब का अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किये है, जबकि मौके पर ना तो रास्ता था, जबकि प0इ0 ने अपनी रिपोर्ट में बाजरे की फसल काश्त करना बताया था। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश 20/8/2019 की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 03/8/2019 को तहसीलदार द्वारा खडी फसल को नष्ट करने की बात कहने पर हुयी, जिसकी नकल प्राप्त कर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत की है। देरी कन्डोन के लिए अलग से प्रा.पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम का पेश किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 20/8/2019 व उनबानी प्रा.पत्र अमित शर्मा बनाम

विष्णु वगैरह मु.नं. 02/2019 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के खारिज किये जाने के आदेश फरमाया जावें।

8. बहस पैरोकार सरकार की सुनी गयी। पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत बहस में अभिकथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 प्रार्थी अमित शर्मा द्वारा ग्राम किराडोद में खातेदारी भूमि के आवागमन हेतु ग्राम प्रागपुरा के आ.ख.नं. 1294/2, 1297/2 गै0मु0 रास्ते को अपीलान्ट द्वारा अवरूद्ध कर दिया उसे खुलवाने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश करने पर श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली द्वारा ख.नं. 1294, 1297 में से 1294/2 व 1297/2 को किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज करने के आदेश क्रमांक/राजस्व 11/2018/1226–1228 दिनांक 15/7/2018 द्वारा दिये गये थे। उक्त आदेशों की पालना में नामा.सं. 2721 राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर दिनांक 13/11/2018 को पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में रास्ते को खुलवाया जा चुका था । अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित किया गया कि नक्शे के बीच सेन्टर में दोनों तरफ रास्ता निकाला जाता है तो उन्हें कोइ आपत्ति नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट सं. एक का प्रार्थना–पत्र न्यायिक प्रक्रिया अपनायी जाकर उक्त प्रा.पत्र स्वीकार किया गया है। इसलिए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील को खारिज फरमायी जावें।

9. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व सबूतों का अवलोकन किया तथा राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करने एवं उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन करने पर पाया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार पावटा द्वारा दिनांक 20/8/2019 को ब उनवान अमित शर्मा बनाम विष्णु वगैरह मु.नं. 02/2019 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत हुयी कार्यवाही के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा अपील पेश की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी अमित शर्माने अपनी खातेदारी भूमि ग्राम किराडोद पर आवागमन के लिए आराजी ख.नं. 1294/2 व 1297/2 गै0मु0 रास्ते को अपीलान्ट द्वारा अवरूद्व करने पर उसे खुलवाये जाने बाबत अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रा.पत्र पेश किया गयां ।रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रसतुत प्रा.पत्र को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20/8/2019 को स्वीकार किया जाना पाया गया जो अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में साबित होता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के आदेश कमांक राजस्व 11/2018/1226–1228 दिनांक 15/7/2018 के द्वारा ख.नं. 1294 व 1297 में से 1294/2 व 1297/2 किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये गये थे, जिसकी पालना में दिनांक 20/8/2019 को निर्णय पारित कर प्रार्थी अमित शर्मा का प्रा.पत्र स्वीकार किया गया है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस में अभिकथन कर जाहिर किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अमित द्वारा प्रस्तुत किया प्रा.पत्र बिना क्षेत्राधिकार के पेश किया है। माननीय सुप्रिम कोर्ट ने अपने निर्णय AIR 2013 सुप्रिम कोर्ट 3060 में यह स्पष्ट सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि न्यायालय स्टेटयूट के अलावा क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं कर सकती है। क्षेत्राधिकार पर वेवर का सिद्वान्त भी लागू नहीं होता है। यहां तक पक्षकारों की सहमति से भी क्षेत्राधिकार प्रदत्त नहीं हो सकता है। बिना क्षेत्राधिकार के की गयी कार्यवाही शून्य होती

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)